अपील सूचना अधिकार संख्या 99/2021 (GCMS 2021/155)(आईटीआई पोर्टल नं. 212384874247879) रामकिशन ओझा पुत्र कुणराम ओझा निवासी ग्राम चकजोड़, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (मोबाईल नं. 94136-40767) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामकिशन स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील पेश की थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक 1545 दिनांक 14.09.2021 से यह अपील इस न्यायालय को प्रेषित की है। अपीलार्थी रामकिशन ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2021 से छः बिन्दुओं की सूचना हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ प्रस्तुत किया था, परन्तु तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2021 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:

1. मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2021 को श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ महोदय के नाम से भारतीय डाक से एक प्रार्थना पत्र भेजा था रजि. नं. RR962747557IN उक्त प्रार्थना पत्र का विषय था प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण भूमि को ... तहस नहस। उस प्रार्थना पत्र आपके द्वारा ... में लिखें गये बिन्दुवार तथ्यो पर ...... कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की ... प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. यह कि कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा क्रमांक एफ 12(11)राजस्व/विविध/2021 दिनांक 18.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी/तसहीलदार सूरतगढ के नाम से आदेश जारी हुआ उसका विषय भी खातेदारी भूमि से सम्बन्धित है। जिला कलक्टर कार्यालय महोदय द्वारा जारी किया गये पत्र पर आपके द्वारा आज तक क्या कार्यवाही हुई है। जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में कब प्राप्त हुआ है, उस पत्र की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे? आप द्वारा जो कि गई कार्यवाही से मुझे अवगत करावें। संलग्न पत्र-(जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर)
3. यह कि कार्यालय तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा भू-अभि.नि. रजियासर को पत्र क्रमांक 584 दिनांक 01/07/2021 पत्र क्रमांक 621 दिनांक 07.07.2021 को आपने जांच हेतु कार्यवाही करने व मौका पर जाने का आदेश जारी किया है उक्त दोनो आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। जांच अधिकारी का नाम, पदनाम सहित पूर्ण ब्यौरा दिया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा व जांच अधिकारी द्वारा जो जो कार्यवाही हुई है इसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
4. यह कि दिनांक 28.07.2021 को मेरे द्वारा (तहसीलदार महोदय सूरतगढ) आपको 6 बिन्दु का प्रार्थना पत्र भेजकर, खातेदारी कृषि भूमि जमीन से अतिक्रमण मुक्त हटाने आदेश प्रदान करे एवं अतिक्रमणकारियों पर [illegible] कार्यवाही करने बाबत का आग्रह किया है। आप द्वारा [illegible] की गई कार्यवाही की प्रमाणित कॉपी देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि ग्राम 110 आरडीएल पटवार हल्का मोकलसर, तहसील सूरतगढ में खाता नं. 6, 29 उमादेवी पत्नी सत्यनारायरण,

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कालूराम, कुननराम, गोविन्दराम, भवानी शंकर, सीमा पिता सत्यानारायण 1/3 तोलाराम, चेतराम पि. आईदान जाति ब्राह्मण सा. खारिया खातेदार भूमि का राजस्व 1 जमाबन्दी 2 गिरदावरी 3 मोका नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे व खातेदारी कृषिभूमि के मौका नक्शा में पूर्व में पश्चिम उतर दक्षिण में खातेदार भूमि व रास्ता–सडक का पूर्ण ब्यौरा व उक्त खातेदार भूमि की खाना नं. 6–29 का नक्शा व सीमा चिन्ह की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे व खातेदार भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड, सिंचित/असिंचित सिंचाई बाकी कितनी है उक्त भूमि में रिंचाई के लिए पक्का खाला का निमार्ण कब हुआ, इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

5. यह कि यदि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नही हो तो सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते मेरा आवेदन सम्बन्धित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनो के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करे। साथ ही अधिनियम के प्रावधानो के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताये।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/1115 दिनांक 28.09.2021 एवं स्मरण पत्र क्रमांक सीजी/वाचक/22/643 दिनांक 31.05.2022 से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील [illegible] जवाब प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आवेदन [illegible] पत्र दिनांक 30.07.2021 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर [illegible] गया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को मामला

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार कोई सूचना देय हो तो अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested